

## जनपद बाराबंकी

दिनांक- 22.11.2022

थाना देवा पुलिस टीम द्वारा गोवध अधिनियम से सम्बन्धित वांछित हिस्ट्रीशीटर अपराधी को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से एक अदद तमंचा मय एक अदद जिन्दा कारतूस बरामद-

जनपद बाराबंकी में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना देवा पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 427/2022 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मुमताज पुत्र गोगे उर्फ मोहम्मद अली निवासी कसाई मोहल्ला कस्बा व थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी को दिनांक 21.11.2022 को देवा-कुर्सी रोड, ग्राम जरूवा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा मय एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद कर थाना देवा पर मु0अ0सं0 672/2022 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त थाना कुर्सी का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है जिसके विरुद्ध जनपद बाराबंकी में कई आपराधिक मुकदमें पंजीकृत हैं।

### नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

मुमताज पुत्र गोगे उर्फ मोहम्मद अली निवासी कसाई मोहल्ला कस्बा व थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी

### बरामदगी-

1. एक अदद अवैध तमंचा 12 बोर
2. एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

### आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 33/2015 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी।
2. मु0अ0सं0 145/2015 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी।
3. मु0अ0सं0 171/2015 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी।
4. मु0अ0सं0 140/2016 धारा 3/4 गुण्डा अधिनियम थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी।
5. मु0अ0सं0 77/2018 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी।
6. मु0अ0सं0 82/2018 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 379 भादवि थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी।
7. मु0अ0सं0 306/2018 धारा 3(1) यू.पी. गैंगस्टर एक्ट थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी।
8. मु0अ0सं0 236/2020 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी।
9. मु0अ0सं0 427/2022 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना देवा जनपद बाराबंकी।

### पुलिस टीम-

1. प्र.नि. श्री पंकज सिंह थाना देवा, जनपद- बाराबंकी।
2. उ0नि0 श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह थाना देवा जनपद बाराबंकी।
3. का0 गगन शुक्ला, का0 सुशील कुमार थाना देवा जनपद- बाराबंकी।
4. का0 गोविन्द पाल थाना देवा जनपद बाराबंकी।